<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 104 / 2022 **दायर दिनांकः 12 / 07 / 2022**

उनवान

1. संतोष बाई उम्र 64 वर्ष पुत्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी छजावा हाल मुकाम गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां (राज0)।

वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0</u>
<u>व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.</u>

उपस्थितिः—

वादनी :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरवा हाडा

प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 27 / 03 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादनी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वादनी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू में खाता संख्या 19 के खसरा न. 147 का रकबा 0.96 है., खसरा न. 156 का रकबा 2.19 है., खसरा न. 157 / 1248 का रकबा 0.08 है, खसरा न. 158 / 1236 का रकबा 0.04 है., खसरा नं. 160 का रकबा 0.16 है., खसरा न. 161 का रकबा 0.14 है., खसरा न. 162 का रकबा 0. 09 है. कुल किता 7 का रकबा 3.66 है0 भूमि संयुक्त खाते में स्थित चली आ रही है जिस जमाबन्दी में वादनी का नाम सत्तू बाई दर्ज है नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि ग्राम छजावा तहसील अटरू में मौजूद है जो वादनी के अन्य सहखातेदारों के खाते में दर्ज है। वादनी का असली नाम संतोष बाई है जबकि इंतकाल खोलते समय राजस्व

कर्मचारियों ने वादनी का नाम सत्तू बाई कर दिया है जिससे वादनी को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं में असुविधा होती है। वाद पत्र के साथ में संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत गजनपुरा तहसील बारां का असल प्रमाण पत्र में पंचायत द्वारा संतोष बाई तस्दीक किया गया है जो सही है। आधार कार्ड में संतोष बाई दर्ज है। बैंक ऑफ बड़ोदा की खाता बुक में संतोष बाई दर्ज है। वादनी द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र में भी संतोष बाई दर्ज है। वादनी द्वारा प्रस्तुत अपने पति का राशन कार्ड में भी संतोष बाई दर्ज है व जन आधार कार्ड में भी संतोष बाई नाम दर्ज है। वादनी वाद पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों को संलग्न कर अपना नाम दुरुस्त करवाने की अधिकारिणी है जो न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिना नहीं हो सकता। वादनी ने दिनाक 13.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब के यहाँ नाम दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है इसलिए राजस्थान सरकार को धारा 80 CPC का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक नहीं है। वाद कारण दिनांक 13.06.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम छजावा तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादनी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे की वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में वादनी का नाम सत्तू बाई के स्थान पर संतोष बाई घोषित किया जाकर खाते को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा पेश नही कर सीधे बहस करने का निवेदन किया।

3. अभिभाषक वादनी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादनी ने बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादनी की पैतृक संपत्ति है जिसमें इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादनी का नाम सत्तू बाई कर दिया है जबकि वादनी का सही नाम संतोष बाई है जो उसके सभी रजि0 दस्तावेजों में सही नाम संतोष बाई दर्ज है। अतः वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में वादनी का नाम सत्तू बाई के स्थान पर संतोष बाई दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान अभिभाषक वादनी की बहस का कोई विरोध नहीं करते हुए वादनी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

4. उभय पक्षकारान की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम छजावा की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता संख्या 19 किता 7 कुल रकबा 3.66 है0 आराजी शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादनी का नाम सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। वादनी द्वारा पेश आधार कार्ड, बैंक आफ बडोदा की पासबुक, मतदाता पहचान पत्र में संतोष बाई पत्नी भोला राम दर्ज है। राशन कार्ड एवं जनआधार कार्ड में वादनी का नाम संतोष बाई दर्ज है। पार्षद गजनपुरा नगर परिषद बारां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 11.07.2022 अनुसार सन्तोष बाई व सत्तु बाई दोनों नाम से जाना जाता है एवं प्रार्थीया का सही नाम संतोष बाई है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादनी का सही नाम संतोष बाई ही है।

5. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादनी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादनी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम छजावा तहसील अटरू में खाता संख्या 19 के खसरा न. 147 का रकबा 0.96 है., खसरा न. 156 का रकबा 2.19 है., खसरा न. 157/1248 का रकबा 0.08

है, खसरा न. 158／1236 का रकबा 0.04 है., खसरा नं. 160 का रकबा 0.16 है., खसरा न. 161 का रकबा 0.14 है., खसरा न. 162 का रकबा 0.09 है. कुल किता 7 का रकबा 3.66 है0 आराजी में सहखातेदार सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर संतोष बाई उर्फ सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 104/2022 **दायर दिनांकः 12/07/2022**

उनवान

1. संतोष बाई उम्र 64 वर्ष पुत्री गोपीलाल जाति मीणा निवासी छजावा हाल मुकाम गजनपुरा तहसील बारां जिला बारां।
वादनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0
व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थितिः–
वादनी :–विद्वान अभिभाषक श्री गौरवा हाडा
प्रतिवादी :–विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम छजावा तहसील अटरू में खाता संख्या 19 के खसरा न. 147 का रकबा 0.96 है., खसरा न. 156 का रकबा 2.19 है., खसरा न. 157/1248 का रकबा 0.08 है, खसरा न. 158/1236 का रकबा 0.04 है., खसरा नं. 160 का रकबा 0.16 है., खसरा न. 161 का रकबा 0.14 है., खसरा न. 162 का रकबा 0.09 है. कुल किता 7 का रकबा 3.66 है0 आराजी में सहखातेदार सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल के स्थान पर संतोष बाई उर्फ सत्तुबाई पुत्री गोपीलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X........................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)